

मानव जीवन में शिक्षा का महत्त्व

रेनु गोयल, अनुसन्धान विद्वान (शिक्षा), टांटिया विश्विद्यालय, श्री गंगानगर (राजस्थान)
डॉ नैकराम, अनुसंधान पर्यवेक्षक (शिक्षा), टांटिया विश्विद्यालय, श्री गंगानगर (राजस्थान)

सार

शिक्षा मानव मन के अंधकार को मिटाकर उसके अन्तर्मन को प्रकाशित करती है। उसी प्रकार से मनुष्य को एक विशेष दृष्टि मिलती है उसी दिशा को जीवन की ज्योति भी कहा जाता है जो हमें सांसारिक सच से रूबरू करती है। यह जीवन शिक्षा से ही संभव है।

शिक्षा मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की वाहक है, जो किसी भी राष्ट्र व समाज के विकास की दिशा को निर्धारित करती है। परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है, यह परिस्थिति जन्य है जो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अतः शिक्षा भी युग व कालों के अनुसार विभिन्न सोपानों को पार करते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुँची है। पुरातन से लेकर भूमण्डलीकरण के दौर तक हम शिक्षा को विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। मानव के प्राचीनकाल व आरम्भिक जीवन की शिक्षा व्यवस्था क्या रही है? प्रमाणों के अभाव में इसे भली प्रकार से नहीं समझा जा सकता है। जब से हमें इंसान के विकास के इतिहास के पुष्ट प्रमाण मिले हैं, तब से हम उसकी शिक्षा व्यवस्था व परिस्थितियों को भली प्रकार से समझ सकते हैं।

भूमिका

व्यक्ति के प्रारम्भ से लेकर आजतक समाज व सत्ता के अनेक रूप देखने को मिल रहे हैं, इन सभी ने शिक्षा को अपने ढंग से प्रभावित किया है। भारतीय सन्दर्भ में अगर हम शिक्षा और उसके विभिन्न अकादमिक वातावरण को देखें, तो प्राचीन समय को स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। “नालन्दा व तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रेरणा गणराज्यों से मिली थी। जहां राजनैतिक अस्तित्व गिरने के साथ-साथ इनकी ख्याति भी कम होती चली गई और धीरे-धीरे ये शिक्षा के उच्च संस्थान राजसत्ता के लोभी राजाओं की नीतियों का शिकार हो गए और राजाओं के दृष्टिकोण के साथ-साथ शिक्षा भी बदलती चली गई। भारतीय सन्दर्भ में अकादमिक वातावरण की दृष्टि से धार्मिक स्कूलों से आश्रम व्यवस्था की अहम् भूमिका रही है। पुराने समय में शास्त्रार्थ में एक केन्द्रीय विद्या के रूप में अकादमिक वातावरण बनता रहा। इनकी एक लम्बी परम्परा रही है। बौद्धों, जैनो व हिन्दू मुनियों की शास्त्रार्थ की एक गौरवशाली परम्परा रही है चार्वाक जैसे ऋषि इस बात के प्रमाण हैं।¹ मध्यकाल राजनैतिक दृष्टि से उथल-पुथल का काल रहा है। राजसत्ता के कारण अनेक खूनी संघर्ष हुए, ऐसे में शिक्षा का कोई एक स्वरूप व आदर्श रूप नहीं रहा। विभिन्न सम्प्रदायों की साम्रादायिक और धार्मिक शिक्षा इस समय में भी फलती-फूलती रही, लेकिन शिक्षा का कोई ऐसा बड़ा केन्द्र भारत में नहीं रहा जो अकादमिक वातावरण की दृष्टि से स्मरणीय हो। तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय जब स्थापित हुए तब वह समय गणराज्यों का समय था उस समय का अकादमिक वातावरण स्वजन हिताय था। इसके बाद की स्थितियाँ भी अकादमिक वातावरण की दृष्टि से अधिक सन्तोषप्रद नहीं रही क्योंकि शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता और गुणवत्ता में घोर विसंगतियाँ रही थी जिन्हें दूर करने का प्रयास अंग्रेजी शासनकाल में प्रारम्भ हुआ जो आज भी जारी है। आधुनिक समाज में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईसाई मिशनकारियों ने शैक्षिक परिदृश्य को उभारने में महत्ती भूमिका निभाई। अंग्रेजों के प्रयास से सन् 1853 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चलकर मैकाले ने प्रथमतः भारतीय शिक्षा को एक व्यवस्थित रूप देने

¹ एज्युकेशन रिसर्च एण्ड एन इन्ट्रोडेक्शन. न्यूयार्क : लॉग मेन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी. पृ. 47.

की कोशिश की जिसका अनुसरण आज भी हम किसी न किसी रूप में करते हैं। शिक्षा चेतना के कारण ही सन् 1947 में भारत आजाद हुआ और अपनी स्थिति और आवश्यकताओं के अनुरूप हमने अपनी नीतियों को बनाया और लागू किया। भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर अनुच्छेद पत्र 25(3), 28(1,2,3), 30(1,2) आदि का प्रावधान किया गया है। इसे सुधारने के लिए अनेक समितियों और आयोगों का गठन किया गया, जिनमें राधाकृष्णन 1948, मुदालियर 1952, आचार्य नरेन्द्रदेव 1953, श्रीमाली 1954 जनार्दन रेड्डी समीक्षा 1992 प्रमुख हैं। इन सभी ने शिक्षा में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए और तदनुसार प्रयास किए गये। लेकिन गुणवत्ता युक्त शिक्षा के संदर्भ में आज भी बहस और प्रयास इतने जरूरी हैं जितने उस समय थे। शिक्षा की बात हमारे देश में पहले से ही की जाती रही है। “जब तक एक ऐसी स्कूल-प्रणाली हिन्दुस्तान में स्थापित नहीं होगी जिसके माध्यम से बच्चे को, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, सम्प्रदाय का हो, हर बच्चे को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हिन्दुस्तान में सौहार्द और बराबरी का रिश्ता स्थापित नहीं होगा।”¹ इस सिफारिश को किए काफी समय हो चुका है और स्थितियाँ भी बदल गई हैं लेकिन फिर भी उसी सिफारिश के प्रकाश में आज अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है। यह संभव हुआ संविधान के 93वें संशोधन से। इसे भारतीय संसद में सन् 2001 में पारित किया, जो सन् 1997 से विचाराधीन था। संविधान का 93 वाँ संशोधन विधेयक कहता है – “दी स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एण्ड कम्पलसरी एज्युकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ दी एज ऑफ सिक्स टु फोर्टीन ईयर्स इन सच मैनेर एज दी स्टेट में बाईला डेटरमिशन”।³ 93वाँ संविधान संशोधन पर बहस के दौरान इस धारा में एकटीलेबल एण्ड क्वालिटी एज्युकेशन जुड़ने के सुझाव दिए गये थे। शिक्षा के प्रति यह सरकारी दृष्टिकोण हमारी पूर्ण शिक्षण को निश्चित रूप से प्रभावित ही नहीं करता बल्कि यह निर्णायक भूमिका निभाता है। अब तो इससे आगे जाकर यह सरकारी प्रयास 11 वीं पंचवर्षीय योजना के वाउचर सिस्टम के रूप में हमारे सामने आने जा रहा है। यह वाउचर सिस्टम विश्व बैंक से प्रेरित ढांचागत सुधारों की एक योजना का हिस्सा है। इस पर एन. सी.ई.आर.टी. के निदेशक ने गंभीर ऐतराज जताया है। उनका कहना है— यह पूरी तरह से शिक्षा का बाजारीकरण है और हर हाल में गरीब विरोधी है। “नेशनल काउंसिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग के आंकड़ों के हिसाब से 1993 से 2002 के बीच हायर सैकण्डरी स्कूलों में करीब 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में करीब 21,000 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं। इस देश में करीब 300 विश्वविद्यालय और करीब 16 हजार कॉलेज हैं।”⁸

मानव जीवन में शिक्षा का महत्त्व

“प्राथमिक स्कूलों का शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात 1:41 है। इस समय देश में 57 लाख शिक्षक हैं। यह संख्या अमेरिका और चीन के अध्यापकों से ज्यादा है। इसके साथ एक विडम्बना यह जुड़ी है कि इनमें से 25 प्रतिशत शिक्षक अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं। 19 प्रतिशत भारतीय प्राथमिक स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। सन् 2004 में 30 प्रतिशत स्कूलों के पास पक्के भवन नहीं थे।”⁹ अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो स्वतन्त्रता से पूर्व वर्तमान राजस्थान राज्य का क्षेत्र अनेक देशी रियासतों में विभक्त था तथा राज्य का कुछ ब्रिटिश भारत का अंग था, अतः स्वाधीनता पूर्व भाग की सामन्ती व्यवस्था में देशी रियासतों में इसका स्वरूप अत्यन्त पिछड़ा एवं सोचनीय था; क्योंकि राजस्थान प्रदेश पश्चिमोत्तर दिशा में आने वाले आक्रमणकारियों जैसे यूनानी, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क आदि के आक्रमणों से रक्षा करने में सदैव प्रहरी की भूमिका निभाता रहा जिससे इसका जनजीवन

² इनसाइक्लोपिडिया ऑफ एज्युकेशन. न्यूयार्क : दी फ्री प्रेस. पृ. 42.

और शिक्षा व्यवस्था विश्रुंखलित व अव्यवस्थित बनी रही तथा शिक्षा सर्वसाधारण के लिए सुलभ न होकर एक निश्चित वर्ग तक ही सीमित रह गई। उस समय शिक्षा विभाग जैसा व्यवस्थित कोई विभाग न था। शिक्षा की संरक्षण उन दिनों के अनेक दानी और विद्याप्रेमी जनो से मिलती है। इसके बाद अंग्रेजों से देशी राज्यों की संधियाँ होने के बाद शिक्षा का आधुनिकीकरण आरम्भ हुआ। राजस्थान की देशी रियासतो से हुई संधियों के फलस्वरूप भी यहाँ पुरातन शिक्षा पद्धतियाँ ही चलती रही व अंग्रेजी शिक्षा विलम्ब से आरम्भ हुई। ब्रिटिश राज के समय राजस्थान की रियासतो में सामन्तवादी प्रथा से यहाँ के राजाओं के विचार भिन्न होने कीवजह से शिक्षा की उपेक्षा होना स्वभाविक था। आजादी के बाद से राजस्थान का पुनर्गठन प्रारम्भ हुआ जो 01 नवम्बर 1956 तक चला। पुनर्गठन के पश्चात् विकास एवं विस्तार हुआ। सरकारी नीति के अनुसार पाठ्यक्रम रखा गया व आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन भी किए गए। जिनमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षक शिक्षा 2009, नयी शिक्षा नीति, निजी-सरकारी सहभागिता, ई शिक्षा प्रमुख है। जिनका यह वर्णन किया जा रहा है—

स्कूली शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अन्तरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों आदि ने मिलकर तैयार किया है। प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा।

पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केन्द्रित न रह जाए। कक्षाकक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जायें। राष्ट्रीय मूल्यां के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के इस दौर में शिक्षा आम गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। बजट में अपर्याप्त प्रावधानों के चलते सरकारी शिक्षा संस्थानों की हालत बेहतर नहीं हो पा रही है। हाल ही के वर्षों में दो प्रकार की प्रणालियां समानान्तर चलती रही है – एक अत्यन्त न्यून फीस वाले सरकारी शिक्षण संस्थान तो दूसरे भारी फीस वाले निजी शिक्षण संस्थान। परिणामस्वरूप शिक्षा में एक आश्चर्यजनक असमानता देखने को मिल रही है जिसे समान लाने के लिए सरकार प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर शेष सभी स्तर की शिक्षा व्यवस्था में सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल को लागू कर रही है जिसे पीपीपी मॉडल के नाम से जाना जाता है।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल का तात्पर्य है कि एक शिक्षण संस्थान जो इस स्थिति खुलेंगे, यह न्यूनतम लाभ के उद्देश्य से एक साथ कार्य करेंगे। पीपीपी मॉडल की नीति बनाने वाले निर्माताओं द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार के शिक्षण संस्थान ज्यादा कुशल होंगे और इससे शिक्षा की लागत कम होगी।

इस सन्दर्भ में भारत के अग्रणी अमीरों में शुमार उद्योगपति अजीम प्रेमजी ने भारत के प्रत्येक गाँ में दो स्कूल खोलने का जो फैसला किया है, वह जितना प्रशंसनीय है, उतना अनुकरणीय भी है। कर्नाटक से शुरुआत करने वाले प्रेमजी यदि सफल रहे तो 2025 तक पूरे देश में लगभग 1300 स्कूल खोल देंगे।

सूचना क्रांति ने शिक्षा के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इन्टरनेट के आने के बाद और उसमें होते सुधार तथा नए-नए टैबलेट एवं मोबाइल फोन की सुविधाओं के कारण सूचनाओं का विनिमय, उनका आदान-प्रदान आसान हो गया है। आज का छात्र एक आईपैड लेकर सभी सूचनाओं को अपने सहपाठियों या शिक्षकों के साथ आदान-प्रदान कर रहा है। आज सूचनाओं के विनिमय के लिए कम्प्यूटर, मोबाइल, ब्लॉग, ट्यूटोर, फेसबुक, वीडियो कांफ्रेंसिंग, ई-जर्नल्स आदि कई सुविधाएं मौजूद हैं। केवल एक छोटे से यंत्र आईपैड मोबाइल के माध्यमसे विद्यार्थी किसी भी जगह किसी भी समय सूचना प्राप्त कर सकता है।

शिक्षा में उक्त परिवर्तनशील स्थिति में शिक्षकों की भूमिका भी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनशील होनी आवश्यक है। तकनीक की तेजी से बदलती दुनिया में हर पल कुछ न कुछ नया हो रहा है क्योंकि अब तक जहां लैपटॉप की बात होती थी वहीं अब कई कम्पनियां भारत में अल्ट्राबुक उतार चुकी है। नेट बुक्स से अलग, उनके जैसे दिखने वाले अल्ट्राबुक पूर्ण लैपटॉप होते हैं जो शिक्षा तकनीक में एक नई क्रांति है। हमारे देखते ही देखते कई विषयवस्तु बदल गयी और कुछ बदलने में प्रक्रियाधीन है। ई-बुक्स के बढ़ते चलन में डिजिटल युग में किताबें भी ऑनलाइन मिलने लगी हैं और ई-बुक्स का तरीका धीरे-धीरे जोर पकड़ने लग गया है। आज का विद्यार्थी यह मानने लग गया है कि आने वाले समय में डिजिटल किताबें पेपर फार्मेट की किताबों को पूरी तरह रिप्लेस कर देगी जिसका सबसे बड़ा लाभ है शिक्षा में तकनीकी का समावेश, साथ ही एक लाभ यह भी है कि यह डिजिटल किताब, पेपर फार्मेट किताब से अधिक सस्ती है और इनको सुरक्षित रखना भी आसान है क्योंकि पेपर फार्मेट किताबों की तरह इसके छपने में कागज और स्याही की जरूरत नहीं होती। डिजिटल तकनीक हमें अक्षरों का आकार छोटा-बड़ा करने की सुविधा भी देती है यही नहीं डिजिटल किताबों को अपनी सुविधा के अनुसार कम या अधिक लाइट में पढ़ा भी जा सकता है। आज इंटरनेट पर लगभग 2 मिलियन डिजिटल किताबें मौजूद हैं। ई-किताब वेबसाइट के जरिए विभिन्न भाषाओं के ट्रांसलेट भी हो सकती हैं।³

निष्कर्ष

आज का शिक्षक यदि इस नवीनतम यंत्र से परिचित नहीं होता अथवा शिक्षण में इसका प्रयोग नहीं करता है तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक शिक्षार्थी के पास विषय वस्तु से संबंधित सूचना शिक्षक से अधिक है। आज शिक्षक का कार्य शिक्षण तकनीक से जुड़कर शिक्षार्थी को मिलने वाली सूचनाओं में उसके सही स्रोतों की जानकारी देने तथा उन सूचनाओं को विश्लेषित करने की क्षमता को विकसित कर विद्यार्थी तक पहुंचाने की हो गयी है।

सन्दर्भ

1. आलोक (2006). सहारा समय. वर्गों में बटी शिक्षा. प्राइमरी शिक्षक. नई दिल्ली : नेशनल काउंसिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग. पृ. 41.
2. ब्रोग, डब्लू. आर. (1963). एज्युकेशन रिसर्च एण्ड एन इन्ट्रोडेक्शन. न्यूयार्क : लॉग मेन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी. पृ. 47.
3. बेस्ट जे डब्ल्यू (1987). शिक्षा में अनुसंधान. पब्लिक हाऊस. नई दिल्ली.
4. गुड, कार्टर वी. (1945). डिक्सनरी ऑफ एज्युकेशन. (प्रथम संस्करण). न्यूयार्क : मैकग्रे हील बुक कम्पनी.
5. हाराल्ड, ई. एम. (1982). इनसाइक्लोपिडिया ऑफ एज्युकेशन. न्यूयार्क : दी फ्री प्रेस. पृ. 42.
6. हार्नवाई, ए. एस. (2000). आक्सफॉर्ड एडवान्स लर्नर डिक्शनरी. नई दिल्ली : रिहास पब्लिकेशन. पृ. 17.
7. कोठारी, डी. एस. (1966). रिपोर्ट ऑफ एज्युकेशन कमीशन. नई दिल्ली : गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया प्रेस. पृ. 78.
8. राय, एस. (2006). स्वतन्त्रता विशेषांक. आधुनिक भारतीय शिक्षक. नई दिल्ली : नेशनल काउंसिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग. पृ. 41.
9. वेणु सदगोपाल (2005). हमारी शिक्षा नीति और हमारे स्कूल. जयपुर : दिगन्तर संस्थान. पृ. 20.
10. श्रीवास्तव आर. एस. (2005) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
11. चौहान एम.एल. (2009), शिक्षा का अधिकार, नई शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, जयपुर

³ रिपोर्ट ऑफ एज्युकेशन कमीशन. नई दिल्ली : गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया प्रेस. पृ. 78.